



रेलवे भर्ती कक्ष

पार्सल डिपो, अलीभाई प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड (पूर्व), मुंबई-400 007.
वेबसाइट : <https://www.rrc-wr.com>

वर्ष 2019-20 के लिए स्काउट और गाइड्स कोटा के लिए भर्ती

रोजगार अधिसूचना संख्या RRC/WR/03/2019 (S & G Quota) जारी करने की तिथि : 04.01.2020



खुलने की तिथि और समय	07.01.2020 10.00 Hrs.
बंद होने की तिथि और समय	06.02.2020 22.00 Hrs.

● महत्वपूर्ण :

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पहले कृपया इस अधिसूचना में सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ-प. रे. वेबसाइट <https://www.rrc-wr.com> पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परिवर्तन के लिये नियमित तौर पर इस वेबसाइट को देखते रहें।
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर भारी जाम / लोड होने के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में किसी तरह की असफलता से बचने के लिये बंद होने की तिथि से पर्याप्त पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें।
- यदि उम्मीदवारों का वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना ई-मेल आईडी सृजित कर लेना चाहिये और भर्ती प्रक्रिया के अंत तक ई-मेल आईडी को अवश्य बनाये रखना चाहिए।

1. पश्चिम रेलवे वर्ष 2019-20 के लिए स्काउट और गाइड कोटा के लिए निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र स्काउट और गाइड उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है :-

क्र.	पद	स्केल	कोटा	वितरण
1	लेवल 2 (ग्रे. सी)	₹ 19,900 - 63,200	02	पश्चिम रेलवे में कहीं भी
2	लेवल 1 (तत्कालीन ग्रे. डी)	₹ 18,000 - 56,900	12	02 पद बीसीटी, बीआरसी, एडीआई, आरटीएम, आरजेटी और बीवीपी डिविजन प्रत्येक के लिए (*)

(*) बीसीटी-मुंबई सेंट्रल, बीसीआर-वडोदरा, एडीआई-अहमदाबाद, आरटीएम-रतलाम, आरजेटी-राजकोट, बीवीपी-भावनगर

2. शैक्षिक और स्काउटिंग / गाइडिंग योग्यता (04.01.2020 के अनुसार) :

2.1 न्यूनतम शैक्षणिक शिक्षा योग्यता :-

क्र.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	लेवल 2 (₹ 19,900 - 63,200)	12 वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, कुल अंकों में 50% से कम अंक नहीं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों (40% और उसके उपर) किसी भी श्रेणी के जिनके पास उच्च योग्यता है यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए 50% अंकों की आवश्यकता नहीं है। स्काउटिंग / गाइडिंग योग्यता नीचे पैरा 2.2 में दी गई है।
2	लेवल 1 (₹ 18,000 - 56,900)	10 वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) प्रदान किया गया। या एनसीवीटी (सिविल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / सिग्नल और टेलिकॉम विभागों के लिए) 10 वी उत्तीर्ण प्लस आईटीआई या 10 वी उत्तीर्ण प्लस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) स्काउटिंग / गाइडिंग योग्यता नीचे पैरा 2.2 में दी गई है।

2.2 स्काउटिंग और गाइडिंग के लिए शिक्षा योग्यता : (लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए)

- किसी भी सेक्शन में राष्ट्रपति स्काउट / गाइड / रोवर / रेंजर या हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक;
- पिछले 5 (पांच) वर्षों के लिए स्काउट्स संगठन का एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए यानी 2014-2015 के बाद। 'सक्रियता का प्रमाण पत्र' संलग्नक 'ए' के अनुसार होना चाहिए, और
- राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो इवेंट और राज्य स्तर पर दो इवेंट में भाग लिया होना चाहिए।

नोट : 1. दोनों पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को दोनों ग्रे. 'सी' के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। (7 वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक का स्तर-2) और इसके बाद का ग्रे. 'डी' (7 वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का स्तर-1 और लेवल 2 के चयन अलग-अलग आयोजित किया जाएगा।

- अगर व्यक्ति क्लर्क-सह-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त किया गया, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 w. p. m. या हिंदी में 25 w. p. m. टी टाइपिंग प्रवीणता प्राप्त करनी होगी और इस समय तर इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अंतिम होगी।
- ऊपर दिए गए 2.2 के अनुसार स्काउट और गाइड योग्यता न होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि उनके पास मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से अपेक्षित योग्यताएं हैं, जो इस अधिसूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि के अनुसार है। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले पात्र नहीं हैं और इसलिए आवेदन नहीं करना चाहिए।
- अधिसूचित पद एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी / पूर्व सैनिक श्रेणियों से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए खुले हैं जो इस अधिसूचना के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें सामान्य खुले बाजार में भर्ती में स्वीकार्य के रूप में छूट दी जाएगी। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उपरोक्त श्रेणियों से उम्मीदवार होने के कारण किसी भी छूट के साथ चुने जाने के मामले में, उन्हें आरक्षित रोस्टर बिंदू के लिए लिया जाएगा। यदि अपलोड किए गए प्रासंगिक जाति प्रमाणपत्र वैध नहीं पाए जाते हैं, ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे आयु मानदंड / अपेक्षित शुल्क आदि का भुगतान केवल यूआर के रूप में माना जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए तिथियां केवल आरआरसी-डब्ल्यूआर वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएंगी। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल को सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आरआरसी-डब्ल्यूआर से सभी संचार केवल एसएमएस / ईमेल के माध्यम से होंगे। आरआरसी-डब्ल्यूआर किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध को नहीं मानेगा।
- पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम है।
- आरआरसी-डब्ल्यूआर की वेबसाइट पर आरआरसी-डब्ल्यू की ओर से भेजे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज / आरआरसी-डब्ल्यूआर की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को इसे पढ़े गए और समझे गए माना जाएगा।

3. राष्ट्रीयता / नागरिकता

- रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार होना चाहिए:
 - भारत का नागरिक, या
 - नेपाल का नागरिक, या
 - भूटान का नागरिक, या
 - तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रिकी देशों केनिया, युगांडा और टांजानिया संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पलायन कर चुका है : बशर्ते कि श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित कोई उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में पात्रता का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

- कोई भी उम्मीदवार जिसकी पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे बिना लिखित परीक्षा के उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यदि चयनित हो, तो नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे जारी किए गए आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जाएगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

4. आयु सीमा (01.07.2020 के अनुसार) :-

लेवल 2 के लिए (₹ 19,900 - 63,200 [7 वीं CPC])	आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष
लेवल 1 के लिए (₹ 18,000 - 56,900 [7 वीं CPC])	आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष

- निचली और उपरी आयु सीमा 01.07.2020 के आधार पर होगी। अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन उपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 साल तक।
- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा में प्रदान की गई सेवा की सीमा + 3 वर्षों तक, बशर्ते कि उन्हें सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक सेवा में रखा हो।
- जम्मू और कश्मीर राज्य में 01.01.1980 से 31.12.1989 के बीच सामान्य डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए यूआर व्यक्तियों के लिए (पीडब्ल्यूबीडी) 10 साल तक, ओबीसी विकलांग व्यक्तियों के लिए 13 साल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकलांग व्यक्तियों के लिए 15 वर्ष (पीडब्ल्यूबीडी)।
- विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से पति से अलग रहने, लेकिन पुनर्विवाह नहीं करने वाली महिलाओं के मामले में उपरी आयु सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी।
- वे जो रेलवे संगठन के अर्धप्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले हैं, जैसे रेलवे कैंटिन, सहकारी समितियां और संस्थान उनके लिए, उपरी आयु सीमा में छूट उनकी रुक रुक कर की गई सेवा की लंबाई के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष तक होगी।

कैजुअल लेबर और स्थानापन्न सेवा के लिए, लेवल-2 के लिए आवेदन करते हुए, यूआर उम्मीदवारों के लिए उपरी आयु सीमा 40 वर्ष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष होगी, बशर्ते उन्हें न्यूनतम 03 वर्ष सेवा में रखा गया हो। (निरंतर या रुक रुक कर)

4.9 कोर्स पूर्ण किए गए एक्ट अपरेंटिस (सीसीएए) के लिए, लेवल-1 के पदों के लिए आवेदन करने पर, यूआर उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 36 वर्ष और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष होगी। अपरेंटिस प्रशिक्षण के तहत अपरेंटिस प्रशिक्षण की अन्य सीमा अधिनियम, 1961, अधिकतम तीन (3) वर्षों के अधीन।

4.10 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित):-

आयु समूह	जन्मतिथि की उपरी आयु सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इसके बाद नहीं)
	यूआर	ओबीसी-नॉन क्रिमी लेयर	एससी /एसटी	सभी समुदाय / वर्गों के लिए
लेवल 2 - 18 से 30	02.07.1990	02.07.1987	02.07.1985	01.07.2002
लेवल 1 - 18 से 33	02.07.1987	02.07.1984	02.07.1982	01.07.2002

नोट : इस तालिका में एससी/एसटी और ओबीसी - एनसीएल के लिए जन्मतिथि की सीमा को शामिल किया गया है।

नोट :

- ए. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रारूप (संलग्नक 'बी') के अनुसार में जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और अपलोड करने की आवश्यकता है, दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र पेश करना होगा, जिसमें असफल होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन पर सख्ती से ब्रेशर के अध्याय - ग्यारह (भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और कार्मिक प्रशिक्षण, नई दिल्ली के पेंशन विभाग द्वारा प्रकाशित) के अनुसार होना चाहिए।
- बी. ओबीसी उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी या 01.04.2019 के बाद केंद्र सरकार के प्रारूप (संलग्नक 'सी') के अनुसार वर्तमान वर्ष 2019-2020 के लिए वैध गैर-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है। इस प्रमाणपत्र में जाति, जारी करने की तारीख आदि होनी चाहिए और जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर होनी चाहिए।

या

ओबीसी उम्मीदवार जिन्होंने नवीनतम नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र के साथ नवीनतम ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकार के प्रारूप (मौजूदा संलग्नक 'सी') अनुसार में मौजूदा ओबीसी जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है और अनिवार्य रूप से (संलग्नक 'डी') के अनुसार गैर-क्रिमी परत की वर्तमान स्थिति के बारे में स्व-घोषणा पत्र भरना और अपलोड करना भी आवश्यक है। ऐसे सभी उम्मीदवारों को वर्तमान वर्ष यानी 2019-2020 के लिए मान्य नवीनतम मूल ओबीसी / एनसीएल प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा, जिसमें असफल होने पर उन्हें यूआर श्रेणी के लिए माना जाएगा जो यूआर के सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

- तालिका 4.2 में समुदाय / श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार केवल आयु में छूट के पात्र होंगे और 5.1 केवल अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करने पर लागू परीक्षा में छूट का दावा करने के लिए। (पैरा 8.6 देखें।)
- विकलांग व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा (पीडब्ल्यूबीडी) पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र (संलग्नक 'ई-1', 'ई-2', 'ई-3', और 'ई-4' के अनुसार) अपलोड होने के 10 वर्ष तक छूट दी जाती है, भले ही यह पद आरक्षित होने या न हो, बशर्ते पद की पहचान की गई हो कि विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।
- यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ग्राउंड पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी (संचयी नहीं) जिसका वह पात्र है।
- उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि, मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि या समकक्ष प्रमाणपत्र, जैसे ही आवेदन जमा करने की तिथि को प्रशासन द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उसके परिवर्तन के लिए बाद में अनुरोध पर न विचार किया जाएगा न दिया जाएगा।

5. परीक्षा शुल्क :

(i)	सभी उम्मीदवारों के लिए, नीचे के उप-पैरा (ii) को छोड़कर	रु. 500/- (रुपये पांच सौ केवल) रु. 400/- वापस करने के प्रावधान के साथ उनको जो अधिसूचना के अनुसार योग्य पाए गए हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा (बैंक शुल्क घटाने के बाद) में शामिल होते हैं।
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्तियों (40% और अधिक) महिलाओं / अल्पसंख्यकों *और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए**	रु. 250/- (रुपये पांच सौ केवल) वापस करने के प्रावधान के साथ उनको जो अधिसूचना के अनुसार योग्य पाए गए हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा (बैंक शुल्क घटाने के बाद) में शामिल होते हैं।

5.1 शुल्क छूट :

- ए. *अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जोराष्ट्रियन (पारसी) को परीक्षा शुल्क से छूट / वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 'स्व-घोषणा' अपलोड करनी होगी जैसा कि संलग्नक 'एफ' में उल्लिखित है। परीक्षा शुल्क से छूट / धनवापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय 'स्व-घोषणा' जमा करनी चाहिए जैसे संलग्नक 'बी' में उल्लेख किया गया है। आवेदन शुल्क की छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर हलफनामा देना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से आता है। दस्तावेज पुष्टिकरण के समय पर यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान हलफनामा पेश नहीं किया जाता, तो उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- बी. **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ उन उम्मीदवारों का होगा जिनकी पारिवारिक

वार्षिक आय रु. 50,000/- से कम है।

नीचे उल्लिखित किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए गए संलग्नक 'जी' के अनुसार आय प्रमाण पत्र ईबीसी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के समय अपलोड किया जाना चाहिए और दस्तावेज के समय मूल रूप में उत्पादित किया जाना चाहिए। सत्यापन। प्राधिकारी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य राजस्व अधिकारी तहसीलदार के स्तर तक।
 2. अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के संसद सदस्य बैठे।
 3. रेलवे द्वारा जारी किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या इज्जत एमएसटी के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र।
 4. केंद्रीय मंत्री देश के किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
 5. जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्यों को बैठाना जिसमें वे सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- 5.2 आवेदन पत्र में विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को आरआरसी-डब्ल्यूआर वेबसाइट पर भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया हो। नेट बैंकिंग या डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 06.02.2020 को 22.00 बजे तक उपलब्ध होगा। इसके बाद किसी बदलाव / संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5.3 कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाए गए लेन-देन शुल्क, आदि कोई हो, का वहन उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा।
- 5.4 लेन-देन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद उत्पन्न होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सेव कर / मुद्रित और बरकरार रखा जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मांग के अनुसार पेश किया जाना चाहिए।
- 5.5 यदि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया ऑनलाइन भुगतान फिर से करें। डुप्लिकेशन, भुगतान में, यदि कोई है तो उसे सत्यापित करने पर वापस कर दिया जाएगा।
- 5.6 उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क करने के दौरान पात्र उम्मीदवारों को शुल्क की वापसी की सुविधा के लिए उपर दिए गए 5 (i) और (ii) के अनुसार बैंक शुल्क में कटौती करने के बाद लाभार्थी बैंक खाते का सही विवरण प्रदान करना चाहिए। जिसमें वे धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आयएफएएससी कोड। जिस उम्मीदवारों को अयोग्य पाया गया है, उनके संबंध में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
6. नियुक्ति प्रक्रिया (दोनों स्तर के लिए) :

- 6.1 भर्ती लिखित परीक्षा दस्तावेज के आधार पर होगी। इसके बाद प्रमाणपत्र के लिए मार्क्स का आकलन किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा और उन्हें फिट पाया जाना चाहिए। और चयनित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा वर्गीकरण के अनुसार मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता होनी चाहिए।
- 6.2 उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार संख्या नहीं है और उन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों की आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं। यह प्रावधान जम्मू और काश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए लागू है। ऑनलाइन आवेदन के समय इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपना वोटर आईडी नंबर, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लायसेंस नंबर या किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र के साथ साथ प्रवेश कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड या उपर्युक्त दस्तावेज का उत्पादन करना होगा।
- 6.3 लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, दस्तावेज सत्यापन आरआरसी द्वारा तय किया जाएगा और इसे निर्धारित समय में योग्य उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध / किसी भी परिस्थिति में दस्तावेजों के सत्यापन / मूल्यांकन के प्रमाणपत्र का जवाब नहीं दिया जाएगा।
- 6.4 प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी में होगा।
- 6.5 लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी।
- 6.6 उम्मीदवारों को ई-कॉल पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- 6.7 सिर्फ आरआरसी-डब्ल्यूआर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत / भरने से उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो जाएगा।
- 6.8 पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
- 6.9 लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर बुलाया जाएगा दस्तावेज और प्रमाणपत्रों अंकों के सत्यापन के लिए। जो उम्मीदवार इस अधिसूचना के जवाब में आवेदन करते हैं और स्काउट्स एण्ड गाइड्स के लिए नियुक्ति के योग्य पाए जाते हैं, उनका निम्न मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

(ए)	लिखित परीक्षा	अंक
	लेवल-2 और लेवल-1 दोनों के लिए लिखित परीक्षा में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) और 1 निबंध प्रकार प्रश्न (20 अंक) शामिल होंगे जो स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन और इसकी गतिविधियां और सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 6.10 के अनुसार होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक हर गलत जवाब के लिए कांटे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ओएमआर शीट पर आयोजित किया जाएगा।	60

(बी)	प्रमाणपत्रों पर अंक	40
1	राष्ट्रीय इवेंट्स / राष्ट्रीय जंबूरी में (सभी भारतीय रेलवे इवेंट सहित) में दी गई सहभागिता / सर्विस) :	10
i	पहले दो प्रमाणपत्र (यानी न्यूनतम पात्रता)	शून्य
ii	एक अतिरिक्त इवेंट	7
iii	दो या अधिक अतिरिक्त इवेंट्स	10
2	राज्यस्तरीय आयोजन / रैलीयोंमें सहभागिता / सेवा प्रदान	10
i	पहले दो प्रमाणपत्र (यानी न्यूनतम पात्रता योग्यता)	शून्य
ii	एक अतिरिक्त इवेंट्स	7
iii	दो या अधिक अतिरिक्त इवेंट्स	10
3	राष्ट्रीय / राज्य / अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर आयोजित स्पेशलाइज्ड स्काउट / गाइड्स कोर्स	10
i	एक कोर्स	7
ii	दो या अधिक कोर्स	10
4	जिला रैलियों में भागीदारी	10
i	एक प्रमाणपत्र	शून्य
ii	दो प्रमाणपत्र	7
iii	तीन प्रमाणपत्र	10
	कुल	100

नोट : 1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अल्प अवधि सूचना पर लिखित परीक्षा के लिए तत्पर रहें।

2. सभी प्रमाणपत्र नोटिफिकेशन जारी करने की दिनांक (यानी 04.01.2020) को या उससे पहले जारी किए जाने चाहिए।

6.10 लिखित टेस्ट का पाठ्यक्रम (दोन स्तरों के लिए)

क्र.	विषय	क्र.	विषय
1	स्काउटिंग / गाइडिंग का इतिहास	16	स्काउटिंग / गाइडिंग में चरण
2	कानून और वचन	17	विचार दिवस
3	संगठन-जिला और राज्य स्तर	18	स्काउट / गाइड / रोवर्स / रेंजर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण
4	प्रशिक्षण केंद्र - जिला और राज्य स्तर	19	पायनियरिंग
5	पुस्तकों का ज्ञान	20	हस्तशिल्प
6	भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग / लड़कियों के लिए गाइडिंग	21	भारतीय रेलवे जंबोरेट
7	मोटो बायां हाथ मिलाना	22	राष्ट्रीय जंबूरी
8	सलामी	23	जंबूरी हवा पर
9	प्रार्थना	24	राष्ट्रीय स्तर पर संगठन
10	ध्वज वन्दन	25	राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, WAGGGS / WOSM - उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता
11	राष्ट्रीय गान	26	प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता
12	राष्ट्रीय और स्काउटिंग ध्वज को जानें	27	सामुदायिक विकास कार्यक्रम
13	विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएँ	28	लक्ष्य और स्काउटिंग के तरिके
14	हाइकिंग	29	बेहतर नागरिकों बनाने में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है।
15	प्रवीणता बैज; ये कैसे अर्जित किए जाते हैं।		

7. (ई-कॉल लेटर) लिखित परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन के लिए

7.1 ए. उम्मीदवार की पात्रता स्थिती आरआरसी-डब्ल्यूआर की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार आरआरसी की वेबसाईट पर अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा। उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के अंत तक अपना मोबाईल नंबर और ई-मेल सक्रिय रखना चाहिए। आरआरसी-डब्ल्यूआर मोबाईल नंबर और ई-मेल पता बदलने के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी अनुरोध नहीं मानेगा।

बी. पात्र उम्मीदवार को ई-कॉल लेटर (स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर के साथ जहां भी लागू हो) डाउनलोड करने के लिए लिखित परीक्षा शुरू होने से दो सप्ताह पहले आरआरसी डब्ल्यूआर की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने मुफ्त यात्रा अधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपना उचित सामुदायिक प्रमाणपत्र अपलोड किया है, लिखित परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर और एससी / एसटी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति है। यात्रा के दौरान, इन अभ्यर्थियों को मूल एससी / एसटी प्रमाणपत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण रखना चाहिए, इसकी असफलता पर उन्हें बिना टिकट यात्री के रूप में मानकर उसके अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

सी. लिखित परीक्षा के लिए आते समय जरूरी दस्तावेज :

उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लिखित परीक्षा के लिए आते समय वे निम्नलिखित दस्तावेज ला रहे हैं :-

1. ई-कॉल लेटर,
2. वैध फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता से जारी पहचान-पत्र, स्कूल / कालेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र आदि)
3. पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ,
4. अजा / अजजा / अपिव प्रमाणपत्र, जहा कही लागू है।

डी. उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी को आरआरसी-डब्ल्यूआर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

7.2 उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी मूल्यवान / महंगी वस्तु न लाएं क्योंकि इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

7.3 मोबाईल फोन, पेजर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ब्ल्यूटूथ डिवाइस या किसी अन्य संचार उपकरण को परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने सहित अनुशासनात्मक / न्यायिक कारवाई करेगा।

7.4 दस्तावेज सत्यापन :

a. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

b. जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता (2.1), स्काउट्स एवं गाइड्स डिप्लिना (पैरा 2.2) और पैरा 6.9 (बी), जाति प्रमाणपत्र, आयु सीमा में छूट के लिए प्रासंगिक प्रमाणपत्र और शुल्क में छूट के साथ स्वयं के एक सेट के साथ मूल दस्तावेज पेश करना। सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटो प्रतिया, 2 हालिया पासपोर्ट आकार (पीछे स्व प्रमाणित)। दस्तावेज सत्यापन / प्रमाणपत्र मूल्यांकन के दिन फोटो अनिवार्य है, असफल होने पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसे दस्तावेज सत्यापन / प्रमाणपत्र मूल्यांकन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।

c. अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाणपत्र अंग्रेजी / हिंदी में अनुप्रमाणित अनुवाद के साथ होना चाहिए।

d. ओबीसी उम्मीदवार जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये केंद्र सरकार के प्रारूप (संलग्नक 'सी' के अनुसार) में अपना मौजूदा ओबीसी जाति प्रमाणपत्र अपलोड किया है और संलग्नक 'डी' के अनुसार गैर-क्रीमी-लेयर की वर्तमान स्थिति के बारे में स्व-घोषणा पत्र अपलोड किया है उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय केंद्र सरकार के प्रारूप (संलग्नक 'बी' के अनुसार) वर्तमान वर्ष 2019-2020 के लिए वैध गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के साथ नवीनतम ओबीसी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से पेश करना होगा, जिसमें असफल होने पर वह अयोग्य हो जाएगा।

e. रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र / राज्य सरकार के विभाग में (जो प्रेरण प्रशिक्षण / प्रशिक्षण / परिवीक्षाधीन है) सेवारत उम्मीदवार सीधे आरआरसी-डब्ल्यूआर को अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने डीवी की असफलता की तिथि पर नियोक्ता से एनओसी का लेना जिसमें असफल होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आरआरसी-डब्ल्यूआर द्वारा उनके नियोक्ता से अनुमति देने में रोक का संचार प्राप्त करने के बाद, आवेदन करने वाले / परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का आवेदन / उम्मीदवारी अस्वीकार / रद्द होने के लिए उत्तरदायी होगा।

f. उम्मीदवारों को अपने आवेदन और फीस रसीद का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है, जो लिखित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

g. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर उनके मूल प्रमाणपत्र पेश करने का कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

h. दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों और अपलोड किए गए दस्तावेजों में पाया गया कोई भी विचलन उम्मीदवारी रद्द करने और रेलवे द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं के लिए विचलन का कारण बनेगा। यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है, तो गजट अधिसूचना या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज के रूप में लागू होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन में अपना परिवर्तित नाम इंगित करना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण एचएससी / एसएससी या समकक्ष प्रमाणपत्र के साथ मेल खाना चाहिए। इस तरह के बदलाव की तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से पहले होनी चाहिए।

i. चयनित सूचीबद्ध उम्मीदवारों को परीक्षा और चयन प्रक्रिया के लिए पत्र स्थल का दस्तावेज सत्यापन / मूल्यांकन के लिए 1 दिन से अधिक समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था करनी होगी।

7.5 कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7.6 आरसीसी-डब्ल्यूआर हर चरण में केवल सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रकाशित करेगा।

8 नियुक्ति प्रक्रिया (दोनो स्तर के लिए) :

उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है।

8.1 अधिसूचना के पैरा 2.1 में बताए अनुसार आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्रमाणित शैक्षिक पत्र / प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति।

8.2 अधिसूचना के पैरा 2.2 में निर्धारित के अनुसार आवश्यक स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र और गाइड के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

8.3 जन्मतिथि / आयु के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित सत्यापित प्रतिलिपि (मानक 10 वीं या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या जन्मतिथि या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का संकेत होता है।)।

8.4 सक्रियता संलग्नक 'ए' का प्रमाण पत्र।

8.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों (संलग्नक 'बी', 'सी' और 'डी' के अनुसार) की स्कैन की गई स्वप्रमाणित प्रति जहाँ भी लागू हो।

8.6 पैरा 4.2 के तहत आयु छूट का दावा करने और पैरा 5.1 के तहत परीक्षार्थियों में छूट का दावा करने के प्रमाण में प्रासंगिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित / सत्यापित प्रतियाँ अर्थात जाति प्रमाण पत्र / पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पुनर्विवाह न करने का एफिडेविट / तलाक के फरमान के बारे में सक्षम न्यायालय से डिक्री / तलाक प्रमाण पत्र / नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र / पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र / अल्पसंख्यक घोषणा / ईबीसी प्रमाण पत्र जैसा लागू हो।

- 8.7 आवेदन पत्र अपलोड करने के बाद अलग से भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र, फोटो आदि का जवाब नहीं दिया जाएगा।
- 8.8 स्कैन की गई तस्वीर, स्कैन किए गए हस्ताक्षर।
नोट-i. : **स्कैन्ड फोटोग्राफ / फोटोग्राफ की सॉफ्ट प्रति**
उम्मीदवारों के लिये रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित है (रंगीन, आकार 3.5 से. मी. × 3.5 से. मी., जो कि आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये, जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फाइल का आकार 20 के. बी. और 70 के. बी. के बीच होना चाहिये), जो कि टोपी और सनग्लास के बगैर हो और उम्मीदवार का सामने का हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता हो। उम्मीदवार ध्यान दे कि आरआरसी-डब्ल्यूआर किसी भी चरण में पुराने / अस्पष्ट फोटोग्राफ को अपलोड करने अथवा आवेदन पत्र में अपलोड किये गये फोटोग्राफ तथा उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक दिखावट के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होने पर आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समान फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय लाने के लिये अपने पास तैयार रखें।
- नोट-ii. : **स्कैन्ड हस्ताक्षर / हस्ताक्षर की इमेज की सॉफ्ट प्रति**
उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करना अपेक्षित है। (आकार 3.5 से. मी. × 2.5 से. मी., जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फाइल का आकार 20 के. बी. और 30 के. बी. के बीच होना चाहिये), स्कैन्ड हस्ताक्षर रनिंग हैंड में अंग्रेजी में अथवा हिंदी में होने चाहिये और **ब्लॉक / कॅपिटल** अथवा बिखरे हुए अक्षरों में नहीं होने चाहिये।

9. **अवैध आवेदन / अस्वीकारण:**

- निम्नलिखित कमियां / अभाव / अनियमितताओं वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जायेंगे।
- (i) स्कैन किए गये हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- (ii) स्कैन की गई तस्वीर के बिना आवेदन।
- (iii) स्कैन की गई फोटो के साथ आवेदन लेकिन गॉगल्स पहने हुए या टोपी के साथ या विंग या रंगीन चष्मे के साथ या विकृत / छोटे आकार या बिना पहचान के।
- (iv) आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए **संलग्नक 'ए'** के अनुसार सक्रियता प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक एवं स्काऊट और गाइड अनुशासन योग्यता न होना।
- (v) उचित प्राधिकारी से सही प्रारूप में वैध सामुदायिक प्रमाणपत्र के बिना आवेदन।
- (vi) यदि कोई भी दावा किया गया है तो आयु में छूट या शुल्क छूट का दावा करने के प्रमाण के रूप में प्रासंगिक प्रमाणपत्र।
- (vii) आयु प्रमाण के बिना आवेदन।
- (viii) अधिक आयु वाले या कम आयु वर्ग के उम्मीदवारों के आवेदन पत्र और साथ ही जहां अपलोड किए गए जन्म प्रमाणपत्र अवैध है, तारीख गलत या भरे हुए नहीं है।
- (ix) किसी भी रूप में गलत / अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किए जाने के उत्तरदायी है।
- (x) सूचना और / या तथ्यों के मामूली परिवर्तन या एक ही पद के लिए विविध विवरण के साथ कई आवेदन।
- (xi) रु. 500/- या रु. 250/- के परीक्षा शुल्क के बिना, जहां लागू हो या कम शुल्क।
- (xii) आरआरसी-डब्ल्यूआर द्वारा किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितताओं को देखा और अमान्य माना गया।
- (xiii) उन प्रमाणपत्रों की प्रतियां जो स्व सत्यापित नहीं हैं जैसा कि पैरा 8.1 से 8.6 में उल्लेखित है।

10. **सामान्य निर्देश :**

- 10.1 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान पंजीकरण पूरा होने पर प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण आईडी जारी की जाएगी। आरआरसी-डब्ल्यूआर के साथ भर्ती प्रक्रिया / पत्रचार के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण आईडी को संरक्षित / नोट करने की सलाह दी जाती है।
- 10.2 उम्मीदवार को डाक द्वारा आरआरसी-डब्ल्यूआर को किसी भी आवेदन के प्रिंटआउट या प्रमाणपत्र या प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माना जाएगा, जो बाद की तारीख में सत्यापन के आधीन है। अपलोड किए गये दस्तावेजों या मूल के साथ ऑनलाइन ओदन में भरे गए विवरणों में कोई भी विचलन कभी भी पाया गया, तो इसके परिणामस्वरूप किसी भी चरण में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 10.3 उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह साबित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।
- 10.4 प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतनमान उस समय स्वीकार्य के रूप में वेतन के स्तर का न्यूनतम भुगतान और अन्य भत्ते होंगे। स्काऊट्स एंड गाइड्स कोटा में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए वेतन का उच्च निर्धारण स्वीकार नहीं होगा।
- 10.5 आरआरसी-डब्ल्यूआर मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों के सत्यापन का आयोजन करता है, केवल उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में योग्य होने के बाद और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आरआरसी-डब्ल्यूआर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है, यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है तो यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।
- 10.6 उम्मीदवारों को सूचना और / या तथ्यों के मामूली बदलावों के साथ आवेदन करने का प्रयास करने के लिए उनके खिलाफ कई आवेदन प्रस्तुत करने को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी / रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा।
- 10.7 उम्मीदवार जो किसी भी आरआरबी / आरआरसी द्वारा या तो जीवन के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए डीबार किया गया हैं जो पूरा नहीं हुआ है, उसे इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान जब भी ऐसा पाया गया उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 10.8 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर समान होने चाहिए, या तो अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए, और हाथ से लिखे होने चाहिए और ब्लॉक / कैपिटल या असम्बद्ध अक्षरों में नहीं। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन इत्यादि के समय अलग-अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर या हस्ताक्षर में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- 10.9 रेलवे प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार रखता है और इस तरह का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क को लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने वाले और छूट वाली श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को छोड़कर नहीं किया जाएगा। शुल्क छूट वाली श्रेणियों के लिए पैरा 5 देखें।
- 10.10 आरआरसी-डब्ल्यूआर द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। आरआरसी-डब्ल्यूआर का कार्य हेड-क्वार्टर ऑफिस, पश्चिम रेल के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है।
- 10.11 चयनित उम्मीदवार जो नियुक्ति के लिए पात्र है, उन्हें **संलग्नक 'एच'** के अनुसार लिखित घोषणा देनी होगी। यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा सुसज्जित उक्त घोषणा में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, तो उसे राज्य प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त / जिला मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा डीए एंड आर के तहत लिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। नियुक्ति पत्र का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा, जहाँ उम्मीदवार रिक्तियों की उपलब्धता और मेडिकल फिटनेस, एंटीकेडेंट्स और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।
- 10.12 जहां भी निर्धारित किया गया चयनित उम्मीदवारों को, प्रशिक्षण से गुजरना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजिफे के रूप में लागू किया जाएगा।
- 10.13 चयनित उम्मीदवारों को जहाँ भी आवश्यक हो, जमानत और / या क्षतिपूर्ति बॉण्ड निष्पादित करना होगा।
- 10.14 चयनित पुरुष उम्मीदवार जिन्हें अंततः नियुक्त किया गया है, वे प्रादेशिक सेना में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 10.15 निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य ई-कॉल पत्र का हिस्सा होगा, जब उन्हें चयन के विभिन्न चरणों के लिए बुलाया जाता है जैसे ऑनलाइन आवेदन में दिए गए वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण के अनुसार लिखित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन (लागू है)। आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा करने के दौरान, आरक्षण के लिए मूल आरसी/एसटी समुदाय प्रमाणपत्र मांगेगा। इस यात्रा प्राधिकरण के दुरुपयोग के किसी भी प्रयास से भविष्य की परीक्षाओं में चयन सहित किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारी की अस्वीकृति हो सकती है।
- 10.16 सेवारत रक्षा कर्मिक समापन तिथि के एक वर्ष के भीतर रिलीज करने की संभावना है। अर्थात् **06.02.2020** भी लागू होता है।
- 10.17 रेलवे प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन उम्मीदवार को पद के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता।
- 10.18 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में पुराने से नये पते संचार के पुनर्निर्देशन के लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में व्यवस्था करनी चाहिए।
- 10.19 रेलवे प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने त्रुटि या चूक को सुधारने के अधिकार सुरक्षित रखता है और गलत तरीके से नियुक्त उम्मीदवार को रेलवे सेवा से सरसरी तौर पर हटाने के लिए उत्तरदायी होगा। आरआरसी-डब्ल्यूआर किसी भी अनजानी त्रुटियों का जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10.20 आरआरसी-डब्ल्यूआर किसी भी स्तर पर अतिरिक्त परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरसी-डब्ल्यूआर इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी भी पद के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा या संपूर्ण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 10.21 व्याख्या को लेकर कोई विवाद होने पर अंग्रेजी रुपांतर को अंतिम माना जायेगा।
- 10.22 विवरणों में कोई गलत बयानी / त्रुटि होने / अपूर्ण या अवैध आवेदन अथवा उम्मीदवार के कोई संगत सूचना को छिपाये जाने अथवा उम्मीदवार के अन्य प्रकार से पद की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के बारे में किसी भी चरण में पता चलने पर बगैर सूचना दिये उनके आवेदन / उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा अथवा सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
- 10.23 दुर्व्यवहार अथवा कदाचार से उम्मीदवारी की सरसरी तौर पर अस्वीकृति और निरस्तीकरण हो सकता है और इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10.24 साधारणतः रेल में किसी कर्मचारी को उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में उसकी संपूर्ण सेवा में तैनात किया जाता है जहां पर उसकी पहली नियुक्ति की जाती है और किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण के अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जायेगा। सेवा के हित में हालांकि सक्षम प्राधिकारी के पास रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या मंडल / युनिट या रेलवे या रेलवे स्थापना में परियोजना में अथवा भारत से बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।
- 10.25 **रेलवे का निर्णय अंतिम** : पात्रता, आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने, मुफ्त रेलवे पास जारी करने, झूठी सूचना के लिये पेनल्टी, चयनित उम्मीदवारों के लिये पदों / स्थान के आबंटन से संबंधित सभी मामलों और भर्ती प्रक्रिया के संचालन से संबंधित अन्य सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। रेलवे प्रशासन के पास लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन आदि के लिये कोई भी तिथि और स्थान को निर्धारित करने, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन आदि के स्थान को अपनी सुविधा अनुसार बदलने, जिसे निरस्त भी किया जा सकता है, का अधिकार सुरक्षित है।

10.26 यात्रा व्यय: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन से लिखित परीक्षा के स्थान तक की उनकी यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी मुफ्त पास जारी किया जायेगा। अन्य को अपना स्वयं का प्रबंध करना होगा। किसी भी प्रकार से यात्रा व्यय की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिये कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता / आवास प्रदान नहीं किया जायेगा।

10.27 किसी भी प्रकार की सिफारिश से उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा।

10.28 रेलवे प्रशासन ई-मेल या एसएमएस की डिलिवरी में किसी भी प्रकार की देरी के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार को अपने स्पैम ई-मेल फोल्डर की भी जांच कर लेनी चाहिये।

10.29 'आवेदन कैसे करें' पर विस्तृत निर्देशों के साथ सभी अनुलग्नकों के साथ आरआरसी-डब्ल्यूआर वेबसाइट पर भी अधिसूचना उपलब्ध होगी।

10.30 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

10.31 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परिवर्तन(नों) के लिए नियमित रूप से आरआरसी-डब्ल्यूआर की वेबसाइट पर जाएँ और सूचना / परीक्षा की अनुसूची आदि के अद्यतन के लिए एक ट्रैक रखें।

11. छद्म रूपण / तथ्यों को छिपाया जाना-चेतावनी :-

किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन और लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार से अनुचित तरिके अपनाये जाने, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन में किसी अन्य को अपने स्थान पर उपस्थित होने के लिये भेजने और छद्मरूपण का सहारा लेते पाया गया तो उसे अयोग्य करार दे दिया जायेगा और जीवन भर के लिये सभी रेभबो / रेभप्र के सभी लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। उसे रेलवे में कोई नियुक्ति पाने से भी प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और यदि पहले ही नियुक्ति हो गई है तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी मुकदमा भी किया जा सकता है।

लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिये मुक्त यात्रा सहित पात्रता अर्जित करने और / या लाभ प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार के जाली / झूठे प्रमाणपत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करते पाये जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी उस भर्ती विशेष के लिये जिसके लिये उससे आवेदन किया है नामजूर की जा सकती है। उसके अलावा उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिये / जीवनपर्यंत के लिये देश भर के सभी रेभबो / रेभप्र द्वारा आयोजित सभी लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से भी, जो भी सही प्रतीत होगा प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और यदि जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी जायेगी।

उमीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित को साधने के लिये कोई राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार का दबाव डालने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी नामजूर कर दी जायेगी।

नोट : स्काऊट और गाइड कोटा के अधीन भर्ती किये गये उम्मीदवारों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा, यदि उनके द्वारा भर्ती हेतु प्रेषित / प्रस्तुत दस्तावेज / सूचना किसी भी चरण में "झूठी / जाली पाई गई।"

12. कानूनी मामले

इस रोजगार सूचना के कारण उत्पन्न कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, मुंबई के कानूनी कार्याधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

13. महत्वपूर्ण सलाह :-

उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से मैरिट के आधार पर किया जायेगा। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिमी रेलवे ने अपनी ओर से कार्य करने के लिये किसी एजेंट अथवा कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी व्यक्ति / एजेंसी द्वारा किये जाने वाले ऐसे किसी झूठे दावे में न उलझें।

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया लोकसेवा में भर्ती के लिये एक गंभीर मामला है। आवेदकों को इसे पूरी गंभीरता से लेने की आशा की जाती है। आवेदकों द्वारा झूठी सूचना प्रेषित करने अथवा अश्लील / आपत्तिजनक फोटोग्राफ अपलोड करके कोई धोखाधड़ी करके प्रक्रिया को प्रभावी करने के किसी भी प्रयास अथवा मामले से कठोरता से निपटा जायेगा और अन्य प्रशासनिक कार्रवाईयों के अलावा आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे दलालों और रोजगार का रैकेट चलाने वालों से सावधान जो कि आपको रेलवे में अपने प्रभाव से अथवा अनुचित या अनैतिक तरिकों से रोजगार उपलब्ध कराने का झूठा वायदा करके आपसे धोखा करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया धोकेबाज तत्त्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरसी-डब्ल्यूआर की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.rrc-wr.com> देखें और धोखेबाज तत्त्वों द्वारा पेश की जाने वाली जाली वेबसाइटों से सावधान रहें।

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,

पश्चिमी रेलवे

अनुलग्नक : संलग्नक "ए", "बी", "सी", "डी", "ई-1", "ई-2", "ई-3", "ई-4", "एफ", "जी" और "एच"

संलग्नक 'ए'

सक्रियता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____

राज्य (जिला /मंडल) _____ का _____ (नाम)

_____ वर्ष से सक्रिय सदस्य है जो _____

गुप का नाम _____

राज्य / जिला संघ में पंजीकृत है।

दिनांक : _____

(नाम और हस्ताक्षर)

(नाम और हस्ताक्षर)

(नाम और हस्ताक्षर)

ग्रुप लिडर (एस/जी)

डीओसी (एस/जी)

डीसी (एस/जी)

अजा / अजजा उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करनेवाले अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. / श्रीमती / कुमारी* _____

जो श्री. / श्रीमती _____

के पुत्र / पुत्री* है और गांव / शहर* _____

_____ जिला / डिविजन* _____ राज्य / संघशासित क्षेत्र* _____ का

निवासी है और --- जाति / जनजाति* से संबंधित है, जिसे इस प्रकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :

संविधान (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 [अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब

पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)

अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976]

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाती आदेश, 1956.

संविधान (अंदाजमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 @ अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा एवं नगर हवेली)

अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @ संविधान (पाण्डेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @ संविधान (गोवा, दमन और दीव)

अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाती आदेश, 1978 @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति,

1978 @

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @ संविधान (अनुसूचित जाति)

आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @ संविधान (अनुसूचित

जनजाति) आदेश (दुसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश

(संशोधन) अध्यादेश 1996

2. यह राज्य / संघशासित प्रशासन से विस्थापित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के

मामले में आवेदन।

यह प्रमाणपत्र श्री. / श्रीमती* _____ जो

श्री. / श्रीमती / कुमारी* _____ के माता / पिता हैं और जो --- राज्य /

संघशासित क्षेत्र* के _____ जिला / डिविजन में _____ गांव / शहर* के निवासी है,

और जो --- जाति / जनजाति* से संबंधित है, जिसे _____ द्वारा दिनांक _____

को जारी राज्य द्वारा राज्य / संघशासित क्षेत्र* में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में

मान्यता दी गई है, जो जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी

किया जाता है।

3. श्री. / श्रीमती / कुमारी* और / या उसका / उसकी* परिवार सामान्यतः _____

_____ राज्य / संघशासित क्षेत्र* के _____ जिला /

डिविजन* के _____ गांव / शहर* में साधारणतः

निवास करता है।

हस्ताक्षर----- पदनाम-----

(कार्यालय की मुहर सहित)

तिथि : _____

स्थान : _____

(*) जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

(@) कृपया राष्ट्रपति के आदेश का उल्लेख करें।

(%) जो लागू न हो, उस पैराग्राफ को काट दें।

नोट : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः या निवास करता है का वही अर्थ है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(**) जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के सक्षम प्राधिकारी की सूची :

i. जिला दंडाधिकारी / अपर जिला दंडाधिकारी / जिलाधीश / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप

जिलाधीश / प्रथम श्रेणी स्टांपेन्डरी दंडाधिकारी / उप प्रभागीय दंडाधिकारी / अतिरिक्त

सहायक आयुक्त / तालुका दंडाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी

ii. मुख्य अध्यक्षीय दंडाधिकारी / अपर मुख्य अध्यक्षीय दंडाधिकारी / अध्यक्षीय दंडाधिकारी

iii. कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी

iv. उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः निवास

करता है।

नोट : तामीलनाडू राज्य से संबंधित अजजा अभ्यर्थी केवल मण्डल राजस्व अधिकारी से ही जाति

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक 'सी'

अपित प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले

अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. / श्रीमती / कुमारी _____

_____ पुत्र / पुत्री _____ गांव

/ कस्बा _____ जिला / मंडल _____ राज्य / संघ शासित प्रदेश _____

समुदाय से संबंधित है, जो कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, के संकल्प

संख्या. दिनांक* के अनुसार पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है।

श्री. / श्रीमती / कु.* ----- और / या उसका / उसकी परिवार ----- राज्य / संघ शासित प्रदेश के ----- जिले / मंडल में साधारणतः निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का. झा. सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 08.09.1993 और भारत सरकार कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के का. झा. सं. 0.एम.क्र. 36033/1/2013-स्था. (आर.) दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017* तिथि : -----

जिलाधीश /
उपायुक्त आदि
(मोहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति अपिब हैं।

* समय-समय पर यथा संशोधित

नोट : यहां प्रयुक्त "साधारणतः" शब्द का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20 में किये उल्लेख में समान होगा।

संलग्नक 'डी'

घोषणा

रोजगार सूचना नं. आरआरसी / डब्ल्यूआर / 03 / 2019 (स्काऊट अॅण्ड गाइड कोटा) पदों के लिए आवेदन करनेवाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा अपलोड की जानेवाली घोषणा के लिए प्रप्रत्र "मैं, ----- पुत्र / पुत्री श्री. ----- निवासी ----- गांव / कस्बा / शहर ----- जिला ----- राज्य एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ----- समुदाय (अपनी उप जाति का उल्लेख करें) से संबंधित हूँ जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एसटीसी) दिनांक 08.09.1993 में वर्णित आदेशों के अनुरूप आरक्षण के उद्देश्य के लिये भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 और इसके बाद का. झा. सं. 36033/1/2013-स्था. (रेस) दि. 27.05.2013 और 13.09.2017 के जरिये किये गए संशोधन में वर्णित व्यक्तियों / वर्गों (संपन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान :----- उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तिथि :----- उम्मीदवार का नाम

संलग्नक 'ई-1'

फार्म-V

विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंग विच्छेदन या अंगो के पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामलों या बौनापन और अंधापन के मामलों में) [नियम-8(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता है।)

प्रमाणपत्र संख्या ----- दिनांक :-----
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ध्यान से जांच की है।
श्री. / श्रीमती / कु.-----पुत्र / पुत्री / पुत्री श्री. ---
----- जन्म की तारीख ----- आयु
----- वर्ष, पुरुष / महिला ----- (DD / MM / YYYY)
पंजीकरण संख्या ----- स्थायी निवासी घर नं.-----
----- वॉर्ड / गांव / गली ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य -----
----- जिसकी तस्वीर उपर दी गयी है, और इससे संतुष्ट हूँ कि :

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी साईज अटेस्टेड फोटो (केवल चेहरा दिखता)

(ए) वह मामला है :

- *लोकोमोटर विकलांगता
- *बौनापन
- *दृष्टिहीनता (कृपया लागू होने पर टिक करें।)

(बी) इसके मामले में उसका निदा है।

- (1) उसे ----- % (आकड़ों में) ----- प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटिव दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांगता / बौनापन / अंधापन है उसके ----- (शरीर का हिस्सा) संबंध में.
- (2) आवेदक ने आवास के निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाणपत्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकरण का विवरण

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान जिससे पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है। (अधिकृत चिकित्सा कर्मचारी का हस्ताक्षर और मोहर)

संलग्नक 'ई-2'

फार्म-VI

विकलांगता प्रमाणपत्र

(विकलांगता के मामलों में)

[नियम-8(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता है।)

प्रमाणपत्र संख्या ----- दिनांक :-----
1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री. / श्रीमती / कु. ----- पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री. ----- जन्म की तारीख ----- (डीडी / एमएम / वाईवाई / आयु ----- वर्ष, पुरुष / महिला -----पंजीकरण संख्या ----- स्थायी निवासी घर नं. ----- वॉर्ड / गांव / गली ----- जिसकी फोटो उपर चिपकी है और संतुष्ट हूँ कि:

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी साईज अटेस्टेड फोटो (केवल चेहरा दिखता)

(ए) वह मल्टिपल विकलांगता का मामला है। स्थायी शारीरिक दुर्बलता / क्षमता की उसकी सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई तालिका में संबंधित विकलांगता के लिए नीचे दिखाए गए विकलांगों के लिए दिशा निर्देशों (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) के अनुसार किया गया है।:

क्र.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति / मानसिक विकृती (%में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो चुका			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड अटैक शिकार			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बहरापन	£		
10	सुनने में कठिनाई	£		
11	बोलना और भाषा विकलांगता			
12	बौद्धिक विकलांगता			
13	विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बिमारी			
16	पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ			
17	मल्टिपल स्केलेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हेमोफिलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(बी) उपरोक्त के प्रकाश में, इनकी सभी स्थायी भौतिक क्षति दिशा निर्देशों (निर्दिष्ट करना है) के अनुसार, इस प्रकार हैं:

- आंकड़ों में : ----- प्रतिशत शब्दों में : ----- प्रतिशत
2. यह स्थिति प्रगतिशील / गैर-प्रगतिशील है / सुधार की संभावना है / सुधार की संभावना नहीं है।
 3. विकलांगता का पुनः निर्धारण है :
i) आवश्यकता नहीं, या
ii) की सिफारिश की जाती है / बाद -----वर्ष-----महीने, और इसलिये यह प्रमाणपत्र तक मान्य होगा ----- (DD / MM / YYYY) @ उदा. बाएं / दाएं / दोनों बाहें / पैर; # उदा. एक आँख / दोनों आँखें; £ उदा. बाएँ / दाएँ / दोनों कान।
 4. आवेदक के निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकरण का विवरण

5. मेडिकल अथॉरिटी के हस्ताक्षर और मुहर:

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
जिस व्यक्ति के पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, उसके हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान		

संलग्नक 'ई-3'

फार्म-VII

विकलांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा)

[नियम-8(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता है।)

प्रमाणपत्र संख्या ----- दिनांक :-----
1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री. / श्रीमती / कु. ----- पुत्री / पत्नी / पुत्री श्री. ----- जन्म की तारीख ----- (DD / MM / YYYY) आयु -----वर्ष, पुरुष / महिला ----- पंजीकरण संख्या ----- स्थायी निवासी घर नं. ----- वॉर्ड / गांव / गली ----- जिसकी तस्वीर उपर दी गयी है, की ध्यान से जांच की है और इससे संतुष्ट हूँ कि यह ----- विकलांगता का मामला है। इसकी शारीरिक अक्षमता / विकलांगता का प्रभाव विकलांगता के दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) के अनुसार किया गया है जो नीचे दी गई तालिका में संबंधित विकलांगता के लिए दिखाया गया है। :

विकलांग व्यक्ति का हालिया पीपी साईज अटेस्टेड फोटो (केवल चेहरा दिखता)

क्र.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति / मानसिक विकृती (%में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो चुका			
4	सेरेब्रल पाल्सी			
5	एसिड अटैक का शिकार			
6	कम दृष्टि	#		
7	बहरापन	£		
8	सुनने में कठिनाई	£		
9	बोलना और भाषा विकलांगता			
10	बौद्धिक विकलांगता			
11	बोलना और भाषा विकलांगता			

क्र.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति / मानसिक विकृति (%में)
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बिमारी			
14	पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां			
15	मल्टिपल स्केलेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	हेमोफिलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(बी) उपरोक्त के प्रकाश में, इनकी सभी स्थायी भौतिक क्षति दिशा निर्देशों (निर्दिष्ट करना है) के अनुसार, इस प्रकार हैं:

- आंकड़ों में : ----- प्रतिशत शब्दों में : ----- प्रतिशत
2. यह स्थिति प्रगतिशील / गैर-प्रगतिशील है / सुधार की संभावना है / सुधार की संभावना नहीं है।
3. विकलांगता का पुनः निर्धारण है :
- i) आवश्यकता नहीं, या
- ii) की सिफारिश की जाती है / बाद -----वर्ष-----महीने, और इसलिये यह प्रमाणपत्र तक मान्य होगा ----- (DD / MM / YYYY)
- @ उदा. बाएँ / दाएँ / दोनों बाहें / पैर; # उदा. एक आँख / दोनों आँखें; £ उदा. बाएँ / दाएँ / दोनों कान।
4. आवेदक के निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण

काउंटर साइन्ड (सीएमओ / मेडिकल सुप. के हस्ताक्षर और मुहर।) अधीक्षक / सरकारी अस्पताल का प्रमुख, यदि मेडिकल अथॉरिटी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। (मुहर के साथ)	(अधिसूचित चिकित्सा अधिकार का प्राधिकृत नियामक) (नाम और मुहर)
---	--

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान जिससे पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।	नोट : यदि यह प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह केवल तभी मान्य होगा तब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा काउंटर साइन्ड किया गया हो। प्रमुख नियम अधिसूचना संख्या S.O.908(E), भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गये थे दिनांक 31 दिसंबर, 1996.
---	--

संलग्नक 'ई-4'

लिपिक का उपयोग करने के लिए उपक्रम

नोट: उम्मीदवार नेत्रहीन (VI) / उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति सेरेब्रल पाल्सी / पेशी अपविकास से प्रभावित है / लोको मोटर विकलांगता (एक बांह) / बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सिखने की विकलांगता और मानसिकता बिमारी) वाले उम्मीदवारों लिपिक के लिए योग्य है।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति के लिए प्रस्तावित लिपिक का विवरण

- उम्मीदवार का नाम :-----
- रोल नं. :-----
- सीबीटी सेंटर का नाम :-----
- उम्मीदवार के शैक्षिक पात्रता :-----
- विकलांगता का प्रकार :-----
- लिपिक का नाम :-----
- लिपिक की जन्मतिथि :-----
- लिपिक के पिता का नाम :-----
- लिपिक का पता :-----
(ए) स्थायी पता :-----
(बी) वर्तमान पता :-----
- लिपिक की शैक्षिक योग्यता :-----
- रिश्तेदारी, यदि कोई हो, लिपिक से उम्मीदवार की :-----

यहां लिपिक की हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज की तस्वीर चिपकाएँ साइज 3.5 cm x 4.5 cm (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

फोटोग्राफ के नीचे उपरोक्त बॉक्स में लिपिक के हस्ताक्षर

12. घोषणा :

- हम एकद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर दिए विवरण हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं। इस परीक्षा में लिपिक / लिपिकों द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आवरण के बारे में हमने रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ा / पढ़ लिया है और इसके द्वारा उनका पालन करने का उपक्रम लिया है।
- हम घोषणा करते हैं कि लिपिक स्वयं इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसा पाया जाता है तो अन्यथा हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- हम घोषणा करते हैं कि लिपिक ने इस परीक्षा के किसी अन्य उम्मीदवार के लिए लिपिक के रूप में कार्य नहीं किया है / नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

ऊपर दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

ऊपर दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

संचालक के हस्ताक्षर

संलग्नक 'एफ'

अल्पसंख्यक समुदाय उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि, मैं ----- धर्म ----- से संबंधित हूँ जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है। अतः मैं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट लेने का इच्छुक हूँ। यदि मुझे सुयोग्य पाया जाता है, तो मैं एतद्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर न्यायिक पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम :-----
तिथि :-----
स्थान :-----

संलग्नक 'जी'

पत्र क्र. ई (आरआरबी) / 2009 / 25 / 21 / दि. 28.10.2009 के पैरा 3 के अनुसार लस्टर हेड पर जारी करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई. बी. सी.) के लिए परीक्षा शुल्क की माफी के लिए प्रमाणपत्र

- उम्मीदवार का नाम :-----
- पिता / पति का नाम :-----
- उम्र :-----
- आवासीय पता :-----
- वार्षिक पारिवारिक आय :-----
(आंकड़ों में और शब्दों में) -----

जारी करने की तिथि :----- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर प्राधिकार पत्र जारी करने वाले का नाम प्राधिकार जारी करने वाले की मोहर

संलग्नक 'एच'

आवेदन के लिए घोषणा

मैं----- (नाम), पुत्र ----- एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि :

- मैं रेलवे में अपनी पोस्टिंग के 1 साल के भीतर यूनिट लीटर ट्रेनिंग से गुजरूंगा;
 - मैं एक युनिट को प्रभावी ढंग से खोलूंगा और / या चलाऊंगा।
 - मैं समय समय पर प्रगतिशील प्रशिक्षण से गुजुंगा।
 - मैं रेलवे स्काउट प्रशासन का सहायक बनूंगा, जब और जैसा आवश्यक हो। उपरोक्त में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, मुझे डी एंट ए नियमों के तहत लिया जा सकता है।
- स्थान :----- (हस्ताक्षर)
दिनांक :----- (नाम)